पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

प[illegible]ावली संख्या:- 12/2016/प्रार्थना पत्र 6ए

प्रभूरा[illegible] पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी लापली की ढाणी तन मुवाना तहसील नावा जिला नागौर [illegible]रिए मुख्तयार मूलाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी लापली की ढाणी तन मुवाना तहसील ना[illegible] जिला नागौर

प्रार्थी

बनाम

सरका[illegible]

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

अधिवक्ता प्रार्थी श्री पोखर[illegible]ल भींचर

निर्णय दिनांक:-20.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रभूराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी लापली की ढाणी तन मुवाना तहसील नावा जिला नागौर जरिए मुख्तयार मूलाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी लापली की ढाणी तन मुवाना तहसील नावा जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना पाटन ने दिनांक 14.09.2014 को वाहन ट्रेक्टर संख्या आर जे 14 आर बी 7212 मय टेंकर जिसमें डीजल भरा हुआ था, को मूलाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी मुवाना थाना मारोठ जिला नागौर से जब्त कर पुलिस थाना में खड़ा कर दिया। तदुपरान्त उक्त ट्रेक्टर एवं टैंकर मय डीजल के स्वामी प्रभूराम जरिये मुख्तयार मूलाराम द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर में ट्रेक्टर एवं टेंकर मय डीजल सुपुर्दगी पर प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन दिनांक 25.03.2015 को पेश किया। जिसकी पत्रावली संख्या 37/2015 विधिक रूप से दर्ज की जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 को आवेदन आंशिक स्वीकार कर जब्तशुदा ट्रेक्टर प्रार्थी प्रभूराम को रूपये 4 लाख की बैंक गारण्टी पेश करने पर सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित कर दिया गया एवं टेंकर मय डीजल के विषय में यह कहकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया कि डीजल की FSL रिपोर्ट पेश होने के पूर्व निस्तारण किया जाना उचित नहीं है। ट्रेक्टर को 4 लाख की बैंक गारण्टी सुपुर्दगी बाबत आदेश को प्रार्थी ने फौजदारी अपील संख्या 65/2015 के द्वारा न्यायालय सेशन न्यायाधीश सीकर में चुनौती दी गई। जंहा पर अपील स्वीकार की जाकर बैंक गारण्टी से सम्बंधित आदेश अपास्त किए जाते हुए ट्रेक्टर चार लाख के साधारण जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने का आदेश दिनांक 22.07.2015 को पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर प्राप्त कर लिया गया है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को टेंकर मय डीजल सुपुर्दगी पर दिया जाना प्रार्थनीय है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। थानाधिकारी पुलिस थाना पाटन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रकरण में चार्जशीट न. 214 दिनांक 30.12.2014 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में किता कर चालान माननीय न्याया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर के न्यायालय में दिनांक 02.09.2015 को पेश किया गया [illegible]

जब्तशुदा डीजल से भरा टेंकर थाना परिसर में खड़ा है। डीजल से भरे टेंकर से तेल रिस रहा है, व टेंकर में डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व थानाधिकारी पुलिस थाना पाटन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में FSL रिपोर्ट नं. FSL/chem.A&E Div/232/14 दिनांक 04.06.2015 प्राप्त हो चुकी है। FSL रिपोर्ट में डीजल होना प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा डीजल खरीद के सम्बंध में LAMBA FUEL POINT Kosli to Jhajjar Road, Kosli (Rewari) का बिल नं. 3264 दिनांक 13.09.2014 प्रस्तुत किया है जिसमें कुल डीजल 5220/– लीटर कीमत 3,00,202 रूपये अंकित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/7 इ.सी एक्ट के तहत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के यंहा विचाराधीन है। इस कारण डीजल मय टेंकर प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का आवेदन बाबत डीजल मय टेंकर सुपुर्दगी पर दिये जाने खारिज किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना, पाटन की रिपोर्ट मुताबिक डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से कभी भी हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकरण के निस्तारण में अभी समय लगने की संभावना है। अतः पुलिस थाना, पाटन को लिखा जावे कि उक्त जब्त शुदा डीजल मात्रा 5220/– लीटर मय टेंकर का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे। निर्णय की प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी, सीकर को भी प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/17

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर